



पेटेंट (संशोधन) नयिम, 2024

[स्रोत: लेक्सोलॉजी](#)

हाल ही में वाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पेटेंट अभ्यास और प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए **पेटेंट संशोधन नयिम, 2024** को अधिसूचित किया है।

पेटेंट (संशोधन) नयिम, 2024 के तहत पेश किये गए प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- परीक्षा के लिये अनुरोध (RFE) दाखल करने हेतु कम समयसीमा: RFE दाखल करने की समयसीमा अब प्राथमिकता तथिसि 48 से घटाकर 31 महीने कर दी गई है।
 - परीक्षा के लिये अनुरोध (Request for Examination- RFE) दाखल करने की समयसीमा कम होने से पेटेंट परीक्षा प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
- फॉर्म 3 का सरलीकृत प्रस्तुतकरण: आवेदक पहली परीक्षा रिपोर्ट (First Examination Report- FER) प्राप्त करने के बाद केवल एक अद्यतन फॉर्म 3 दाखल कर सकते हैं।
 - पेटेंट कार्यालय आवेदक को एक परीक्षा रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आमतौर पर FER के रूप में जाना जाता है।
- 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप' का परिचय: पेटेंट किये गए आविष्कारों में आविष्कारकों के योगदान को पहचानना।
 - चूँकि भारतीय पेटेंट प्रमाणपत्र आविष्कारकों की पहचान नहीं करता है, इसलिये यह प्रावधान आविष्कारकों को उनके आविष्कारों हेतु पहचानने की अनुमति देगा।
- विवरण दाखल करने की आवृत्ति: कार्यशील पेटेंट दाखल करने की आवृत्ति एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में एक बार कर दी गई है।
- अनुदान-पूर्व और अनुदान-उपरांत विपक्ष प्रक्रियाओं में संशोधन: एक विपक्षी बोर्ड द्वारा सफाई प्रस्तुत करने की समय सीमा और आवेदकों के लिये प्रतिक्रिया समय को समायोजित किया गया है।
 - एक डिविज़नल आवेदन अनंतिम या पूर्ण आवेदन या आगे डिविज़नल एप्लीकेशन में प्रकट किये गए आविष्कार के संबंध में दायर किया जा सकता है।
 - यह संशोधन **सिंटा लिमिटेड बनाम पेटेंट एवं डिज़ाइन नियंत्रक मामले, 2023** में दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया नरिणय के अनुरूप है।
 - इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **डिविज़नल आवेदन मूल आवेदनों के संबंध में दायर किये जा सकते हैं**, जहाँ मूल आवेदन के पूर्ण या अनंतिम विनिरिदेश (और जरूरी नहीं कि दावे) आविष्कारों की बहुलता को उजागर करते हों।

पेटेंट क्या है?

- परिचय:
 - पेटेंट किसी आविष्कार के लिये एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा **पेटेंटधारक को उसके आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में एक सीमा अवधि के लिये दिया जाता है**, जो दूसरों को पेटेंटधारक की अनुमति के बिना उन उपयोगों के लिये उत्पादन की पेटेंट उत्पाद/वधिके निर्माण, उपयोग, आयात या बिक्री से नयित्तरति करती है।
 - भारत में पेटेंट प्रणाली **पेटेंट अधिनयिम, 1970** द्वारा शासित होती है जिसमें वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था।
 - वर्तमान परविश के अनुरूप पेटेंट नयिमों में नयिमति रूप से संशोधन किया जाता है, सबसे **हालिया पेटेंट (संशोधन) नयिम, 2024** है।
- पेटेंट की अवधि:
 - दिये गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि आवेदन दाखल करने की तथिसि अगले 20 वर्ष तक की होती है।
 - हालाँकि, **पेटेंट सहयोग संधि (PCT)** के तहत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिये पेटेंट की अवधि PCT के तहत दी गई अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग तथिसि से 20 वर्ष होगी।
 - PCT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। यह प्रत्येक **अनुबंधित देश में आविष्कारों की रक्षा के लिये पेटेंट आवेदनों को दाखल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया** प्रदान करती है।
 - ऐसा आवेदन किसी भी व्यक्ता द्वारा दायर किया जा सकता है जो PCT अनुबंधित राज्य या राष्ट्र का नवासी है और आमतौर पर अनुबंधित राज्य के राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय या आवेदक के वकिल पर जनिवा में **वशि्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के साथ दायर किया जा सकता है।



बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।



IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।



संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):
 - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 (पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।
 - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 (कॉपीराइट)।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:
 - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
 - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:
 - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- मर्रिकेश VIP समझौता, 2016:
 - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को अनुच्छेद 27 (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।



भारत की पहल और IPR

- राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:
 - आदर्श वाक्य: "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
 - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
 - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
 - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन (NIPAM)
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA)

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. यह दोहा वकिस एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रतभारत की प्रतबिद्धता को दोहराता है ।
2. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन वभिर भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के वनियमन के लयि केन्द्रक अभकिरण (नोडल एजेंसी) हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. राष्ट्रीय जैववविधिता प्राधकिरण (NBA) भारतीय कृषकी सुरक्षा में कैसे मदद करता है? (2012)

1. NBA जैव पायरेसी की जाँच करता है और स्वदेशी और पारंपरिक आनुवंशिक संसाधनों की रक्षा करता है ।
2. NBA सीधे फसल पौधों के आनुवंशिक संशोधन पर वैज्ञानिक अनुसंधान की नगिरानी और पर्यवेक्षण करता है ।
3. आनुवंशिक/जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के लयि आवेदन NBA के अनुमोदन के बनिा नहीं कयिा जा सकता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

??????:

प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं । कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तयिों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयि । (2014)